



Government of Haryana
Environment, Forest and Wildlife Department
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा पंचकुला

यादी क्रमांक: 1933-व-1-2023/4391
चण्डीगढ़ दिनांक 27-06-2023.

विषय:

Diversion of 0.1187 ha. of Forest land in Kurukshetra Forest Division for laying of GAS Pipeline of HPOIL Gas Private Ltd. from Pipli Bus Stand to Lachmandass Filling Station and CNG Station at Pipli Ladwa road, under forest Division & Distt. Kurukshetra, Haryana.
(Online Proposal No. FP/HR/Pipeline/155734/2022)

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980, की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.1187 है० वन भूमि के उपयोग के लिए, Para 4.2 in Chapter 4 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के तहत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों द्वारा प्रदान की जाती है:-

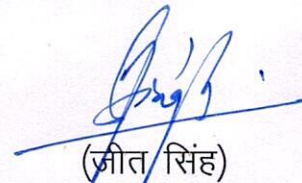
- (i) नैट प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा कुल 56844/- रु० की राशि परिवेश पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट करके जमा करवाई जा चुकी है।
- (ii) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- (iii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा।
- (iv) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- (v) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन०पी०वी० की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन०पी०वी० की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।
- (vi) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।
- (vii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
- (viii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
- (ix) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जायेगी।



Government of Haryana
Environment, Forest and Wildlife Department
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

- (x) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- (xi) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।
- (xii) प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी।
- (xiii) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजैन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी।
- (xiv) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- (xv) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (xvi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी।

यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है तो राज्य सरकार इस स्वीकृति को रद्द कर सकती है।


(जीत/सिंह)

अधीक्षक, प्रशासकीय वन शाखा
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
3. HPOIL Gas Private Limited Distt. Kurukshetra, Haryana.